सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 303/2016

मन्दिरमूर्ति श्री रूघनाथ जी महाराज जरिये सेवक श्रीमति चांद देवी पुत्री मदनदास वैष्णव जाति वैष्णव निवासी धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.

———वादी

♠ बनाम ♠

भागचन्द पुत्र व ल्याण रेगर निवासी धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

———प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम
पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 01.05.18

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प धून्धरी में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये सेवक श्रीमति चांद देवी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम धून्धरी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है । वाद वर्णित आरीजीयात ग्राम धून्धरी के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता स. 463 में वर्णित खसरा नम्बर 623, 624 कुल रकबा 1.21 हैक्ट मन्दिरमूर्ति श्री रूघनाथ जी महाराज सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वाद ग्रस्त आराजी में प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा आदि नही है किन्तु प्रतिवादी आये दिन मन्दिरमर्ति की आराजी में अतिक्रमण कर फसल आदि को नुकसान पहुंचाता है तथा मन्दिरमूर्ति की आराजी में खड्डे आदि खोदकर पक्का निर्माण करने की नीयत से अतिक्रमण करता है। अतः प्रतिवादी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाया जाकर मन्दिरमूर्ति की आराजी को अतिक्रमण मुक्त कराया जावे। इस हेतु वादी का दावा स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 03.06.2016 को श्री मुरलीधर शर्मा एडवोकेट ने पावर पेश किया, जवाब हेतु समय चाहा, समय दिया गया। प्रतिवादी को 9 मौके दिये गये किन्तु प्रतिवादी ने कोई जवाब पेश नही किया लिहाजा उसका जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली शहादत वादी हेतु नियत की गई।

आज प्रकरण में वादी व प्रतिवादी दोनो उपस्थित है जिन्हे समझाईस की गई। प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया है तथा आगामी 4–5 दिवस में उक्त अतिक्रमण को स्वयं के स्तर पर हटा लेने की प्रार्थना मजमे आम में की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वादग्रस्त आराजी मन्दिरमूर्ति श्री रूघनाथजी महाराज सा.देह. की खातेदारी दर्ज है तथा मन्दिरमूर्ति सास्वत है, नाबालिग है जो न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है। वर्तमान में वर्तमान में मन्दिरमूर्ति की सेवा पूजा वादी जरिये श्रीमति चांद देवी पुत्री मदनलाल वैष्णव निवासी धून्धरी अपने स्तर से करवा रही है। आज मजमे आम में उपस्थित मौतविरान से जानकारी लेने पर जाहिर हुआ कि वर्तमान में उक्त मन्दिर की सेवा अर्चना जरिये चांद देवी के ही सदस्य द्वारा कराई जा रही है जिससे वादी का प्रेमापेशाई केश होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी मन्दिरमूर्ति के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का वाद वाके ग्राम धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खसरा नम्बर 623 से 624 रकबा क्रमशः 0.81 है. व 0.40 है. का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह मन्दिर मूर्ति की आराजी में उसकी कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें ना ही आराजी में खड्डे आदि कर निर्माण करें। तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वह मन्दिरमूर्ति की आराजी का नापचोक कर उसमें यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प धून्धरी में पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी